सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः-325/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 28 अगस्त 2020**

<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u>

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव अवैध मादक पदार्थ के निष्कर्षण,परिवहन एव बिक्री पर रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण के कुशल निर्देशन में दिनांक 27 .8.2020 को विभिन्न थानो द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नलिखित है -

थाना-बरदह

10 लीटर देशी नजायज शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

उ0नि0 शमशाद अली मय हमराह हे0कां0 मूलचन्द दुबे, कां0 अमरीश यादव, कां0 जावेद असरफ सिद्दीकी द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन तथा पेण्डिग विवेचना व वांछित अभि0गण की गिरफ्तारी के क्रम में अजाउर नहर पुलिया पर मौजूद थे कि एक व्यक्ति जमुआवा की तरफ से आता दिखाई दिया। जिसने अपने हाथ में एक जरिकेन लिये हुए था। पुलिस वालों को देखकर भागने लगा जिसे घेरकर समय 20.05 बजे गिरफ्तार किया गया। मौके पर जामातलाशी पर उसके पास से डिब्बे में 10 लीटर देशी नजायज शराब बरामद हुआ । नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम इन्द्रजीत पुत्र सुखदास ग्राम कोदहरा थाना बरदह आजमगढ़ बताया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 206/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

थाना-कप्तानगंज

20 लीटर अवैध शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

उ0नि0 बांक बहादुर सिंह मय हमराह मुन्ना कुमार यादव द्वारा मुखबिर की सूचना पर देवरिया पुलिय से शोभनाथ निषाद पुत्र स्व0 रामकिशुन निषाद ग्राम अलहनी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को 20 लीटर अवैध शराब विक्री करते हुए पकड़ा गया। जिसके सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-134/20 धारा 60 अबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।